

फा0स0 8/8/18/कय/2015
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
कार्यालय महाप्रबन्धक
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,
गाजीपुर (उ0प्र0)

दिनांक: 01.03.2019

निविदा सूचना

सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर पर राजस्थान यूनिट के अफीम तौल केन्द्रों से आये अफीम से भरे 20 कि0ग्रा0 एवं 35 कि0ग्रा0 के प्लास्टिक कन्टेनरों को रेलवे वैगन से अनलोड कर एवं ट्रक में लोड करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु प्रति कन्टेनर भाडा/दर उपलब्ध कराने बावत् -

महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर द्वारा सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर पर राजस्थान यूनिट के अफीम तौल केन्द्रों से आये अफीम से भरे 20 कि0ग्रा0 एवं 35 कि0ग्रा0 के प्लास्टिक कन्टेनरों को रेलवे वैगन से अनलोड कर एवं ट्रक में लोड करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु प्रति कन्टेनर भाडा/दर उपलब्ध कराने हेतु बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रोफार्मा में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन दिनांक 25.03.2019 को समय 4.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। कोटेशन दिनांक 25.03.2019 को समय 4.30 बजे खोला जायेगा।

क्रम सं0	श्रमिक उपलब्ध कराने बावत विवरण	मात्रा/संख्या
1.	सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रों से आये अफीम से भरे 20 कि0ग्रा0 एवं 35 कि0ग्रा0 के प्लास्टिक कन्टेनरों को रेलवे वैगन से अनलोड कर एवं ट्रक में लोड करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु प्रति कन्टेनर भाडा/दर	लगभग 12000 अदद अफीम से भरे प्लास्टिक कन्टेनर (कन्टेनरों की संख्या घट बढ़ सकती है)

कोटेशन की शर्तें-

1. आदेश प्राप्त होने के तुरन्त बाद नियत समय एवं तिथि पर पर्याप्त मात्रा में श्रमिक को सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर में स्वयं उपलब्ध कराना होगा।
2. दर की वैधता आदेश देने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा। उपरोक्त कार्य माह अप्रैल 2019 के अन्तिम सप्ताह या माह मई 2019 के प्रथम सप्ताह में कराये जाने की सम्भावना है कार्य की निश्चित तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।
3. श्रमिकों द्वारा लोड अथवा अनलोड करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अफीम से भरी पेटियों में टूट फूट होने पर तथा अफीम बर्बाद होने पर पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।
4. फर्म (दरदाता) को पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध कराना होगा। ताकि रेलवे विभाग द्वारा दिये गये निर्धारित अवधि में अफीम से भरे प्लास्टिक कन्टेनरों को रेलवे वैगन से कन्टेनरों को अनलोड किया जा सके। यदि उक्त कार्य में श्रमिकों को पर्याप्त संख्या में न होने के कारण विलम्ब होता है तो रेलवे विभाग द्वारा जो भी विलम्ब शुल्क इस प्रतिष्ठान पर लगाया जायेगा उसे दर दाता द्वारा स्वयं देय होगा एवं इसके लिए दर दाता पूर्ण से से स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. अफीम से भरे प्लास्टिक कन्टेनरों को उतारने व चढाते समय यदि कोई श्रमिक चोट ग्रस्त, बिमार, घायल आदि होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।
6. उक्त कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए फर्म दर देते समय अपने दर के साथ टेण्डर फीस रू0 100/- (फैंक्ट्री कोषागार में नगद भी जमा कर सकते हैं) तथा अग्रिम जमानत राशि के रूप में रू0 5000/- जमा करना होगा। जो प्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया हुआ एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/डी0डी0/बैंक गारण्टी आदि के साथ ही संलग्न कर दर देना अनिवार्य होगा। जमानत राशि दर के साथ संलग्न नहीं होने पर दर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगद अग्रिम धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. इस कार्य में लगाये गये श्रमिकों का नाम, पूरा पता आदि कार्य आरम्भ करने से पहले फर्म दर दाता को स्वयं उपलब्ध कराना होगा। यदि कोई श्रमिक अनुशासनहीनता करता है तो फर्म उसे हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
9. इस कार्य के लिए दर दाता को सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर में पूरे कार्य की क्षमतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराना होगा। जिनके भोजन/जलपान आदि की व्यवस्था स्वयं फर्म द्वारा किया जायेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद में महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रशासनिक अधिकारी

कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,

महाप्रबन्धक
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना
गाजीपुर

महोदय,

सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रों से आये अफीम सं भरे 20 कि०ग्रा० एवं 35 कि०ग्रा० के प्लास्टिक कन्टेनरों को ट्रक पर लोड होने के उपरान्त ट्रक से परिवहन कर सुरक्षित शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर परिसर के मालखाना अनुभाग तक पहुंचाने का प्रति कन्टेनर/प्रति ट्रक भाड़ा उपलब्ध कराने हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी निविदा पत्र सं० **8/8/18/PS/ 2015** दिनांक ----- के सन्दर्भ में हमारा दर निम्नवत है।

क्रम सं०	कार्य का विवरण (पूर्ण विवरण सहित)	मात्रा	दर प्रति यूनिट (रु०में)	कर की दर व धनराशि	कुल लागत
1.	सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर पर राजस्थान इकाई के अफीम तौल केन्द्रों से आये अफीम सं भरे 20 कि०ग्रा० एवं 35 कि०ग्रा० के प्लास्टिक कन्टेनरों को रेलवे वैगन से अनलोड कर एवं ट्रक में लोड करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु प्रति कन्टेनर भाड़ा/दर	लगभग 12000 अदद अफीम से भरे प्लास्टिक कन्टेनर (कन्टेनरों की संख्या की संख्या घट बढ़ सकती है)			

निम्न नियम एवं शर्तें :-

- आदेश प्राप्त होने के तुरन्त बाद नियत समय एवं तिथि पर पर्याप्त मात्रा में श्रमिक को सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर में स्वयं उपलब्ध कराना होगा।
- दर की वैधता आदेश देने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा। उपरोक्त कार्य माह अप्रैल 2017 के अन्तिम सप्ताह या माह मई 2017 के प्रथम सप्ताह में करार्ये जाने की सम्भावना है कार्य की निश्चित तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।
- श्रमिकों द्वारा लोड अथवा अनलोड करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अफीम से भरी पेटियों में टूट फूट होने पर तथा अफीम बर्बाद होने पर पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।

4. फर्म (दरदाता) को पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध कराना होगा। ताकि रेलवे विभाग द्वारा दिये गये निर्धारित अवधि में अफीम से भरे प्लास्टिक कन्टेनरों को रेलवे वैगन से कन्टेनरों को अनलोड किया जा सके। यदि उक्त कार्य में श्रमिकों को पर्याप्त संख्या में न होने के कारण विलम्ब होता है तो रेलवे विभाग द्वारा जो भी विलम्ब शुल्क इस प्रतिष्ठान पर लगाया जायेगा उसे दर दाता द्वारा स्वयं देय होगा एवं इसके लिए दर दाता पूर्ण से से स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. अफीम से भरे प्लास्टिक कन्टेनरों को उतारने व चढाते समय यदि कोई श्रमिक चोट ग्रस्त, बिमार, घायल आदि होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।
6. उक्त कार्य हेतु ट्रक उपलब्ध कराने के लिए अपने दर के साथ टेण्डर फीस ₹0 100/- (उक्त को फौवद्री कोषागार में नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है) तथा अग्रिम जमानत राशि के रूप में ₹0 5000/- जमा करना होगा। जो प्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षायोद कारखाना गाजीपुर के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया हुआ एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/डी0डी0/बैंक गारण्टी आदि के साथ ही संलग्न कर दर देना अनिवार्य होगा। जमानत राशि दर के साथ संलग्न नहीं होने पर दर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगद अग्रिम धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. इस कार्य में लगाये गये श्रमिकों का नाम, पूरा पता आदि कार्य आरम्भ करने से पहले फर्म दर दाता को स्वयं उपलब्ध कराना होगा। यदि कोई श्रमिक अनुशासनहीनता करता है तो फर्म उसे हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
9. इस कार्य के लिए दर दाता को सिटी रेलवे स्टेशन (मालगोदाम) गाजीपुर में पूरे कार्य की क्षमतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराना होगा। जिनके भोजन/जलपान आदि की व्यवस्था स्वयं फर्म द्वारा किया जायेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद में महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

भवदीय

स्थान:-
दिनांक:-

(हस्ताक्षर)
फर्म की शील

फर्म का पूरा नाम व पता
जी.एस.टी. न0.....

(i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क0स0 1 से 6 तक की सभी निविष्टियों को पूर्ण रूप से भरी गई है।

(ii) मेरे द्वारा निविदा विजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी। भिन्नता पाई जाती है या बीजक पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं जिम्मेदार होउगा।

(iii) मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महायोग अंको एवं शब्दों में अंकित किया गया है।

भवदीय

स्थान:-
दिनांक:-

(हस्ताक्षर)
फर्म की शील
फर्म का पूरा नाम व पता
जी.एस.टी.न0.....

में श्रीनिविदा स०.....
.....दिनांकमें दर्शायी गई सभी नियमों को भलीभाँति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमितारें होगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबन्धक , शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

(i) मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गयी है ।

भवदीय

स्थान:-

दिनांक:-

(हस्ताक्षर)
फर्म की शील
फर्म का पूरा नाम व पता
जी.एस.टी. न०.....